डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 मई 2001—वैशाख 18, शक 1923

वित्त विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 165/ब-4/वित्त/2001.—छत्तीसगढ़ शासन रुपये 55.00 करोड़ की राशि का 10.35 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण, 2011 दस वर्ष की अवधि के लिये प्रचलित करने हेतु अधिसूचना जारी करता है.

1. **उद्देश्य :** (1)ऋण की आवश्यकता विकास योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिये है.

(2) इस ऋण के प्रचालन के लिये केन्द्रीय सरकार की सहमति जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के द्वारा अपेक्षित है, प्राप्त कर ली गई है.

2. **विवरण :** अभिदान हेतु प्रस्तुत ऋण 10.35 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण, 2011 कहलायेगा.

3. **जारी होने की तिथि :** ऋण के लिये आवेदन पत्र एवं अभिदान दिनांक 8 मई, 2001 को प्राप्त किये जावेंगे, तदनुसार ऋण, की तिथि दिनांक 8 मई, 2001 रहेगी.

4. **चुकारे की तिथि :** इस ऋण का चुकारा सममूल्य पर दिनांक 8 मई, 2011 को किया जायेगा.

5. **ब्याज की दर :** ऋण पर 10.35 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा. ब्याज का भुगतान 8 मई, 2001 प्रत्येक वर्ष अर्द्धवार्षिक भुगतान किया जावेगा.

6. **अन्य निबंधन तथा शर्तें :** अन्य निबंधन-तथा शर्तें वही रहेगी जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 34/ब-4/वित्त/2001दिनांक 25 जनवरी, 2001 के प्रावधानों में निहित है.

Raipur, the 3rd May 2001

NOTIFICATION

No. 165/B-4/FIN/2001.—Government of Chhattisgarh hereby notifies the issue of 10.35 per cent Chhattisgarh State Development Loan, 2011 of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs. 55.00 crore (nominal).

1. **Object of the Loan :** (i) The Loan is required for financing development schemes.
(ii) The consent of Central Government has been obtained to the floatation of this Loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

2. **Nomenclature :** The Loan offered for subscription is 10.35 per cent Chhattisgarh State Development Loan.

3. **Date of issue :** Applications and subscriptions for the loan will be received on May 8, 2001 Accordingly, the date of issue of the loan will May 8, 2001.

4. **Date of repayment :** The Loan will be repaid at par on May 8, 2011.

5. **Rate of interest :** The Loan will bear interest at 10.35 per cent per annum May 8, 2011 payable half yearly.

6. **Other terms and conditions :** The other terms and conditions will be as per the provisions contained in the Notification of Government of Chhattisgarh bearing No. 34/B-4/Fin/2001 dated 25 January, 2001

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.